भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1769

10 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ

विषय: असम में कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन

1769. श्री गौरव गोगोईः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 से लेकर अब तक असम में दर्ज किसान आत्महत्याओं की वर्ष-वार और जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या असम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और अन्य योजनाओं के अंतर्गत फसल बीमा दावों के वितरण में विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) असम में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद की वर्तमान स्थिति क्या है और कार्यान्वयन में किसी भी अंतराल के कारण क्या हैं;

(घ) क्या असम के सभी जिलों में वित्तीय डेटा अवसंरचना (एफडीआई) ढांचा पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया है, यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और वे कौन से जिले हैं जहां एफडीआई डेटा अभी भी उपलब्ध नहीं है;

(ङ) असम में एफडीआई कवरेज को पूर्ण रूप से आरंभ करने की समय-सीमा क्या है; और

(च) राज्य में किसानों से संबंधित योजनाओं के लिए डेटा उपलब्धता और संस्थागत समन्वय में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) अपनी पत्रिका 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2023 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है।

(ख): असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के दावों का भुगतान, खरीफ 2022 सीजन से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के "डिजी क्लेम मॉड्यूल" के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2024 तक (खरीफ और रबी दोनों) के दावों का निपटान हो चुका है।

(ग): धान, सरसों और मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रमशः 2369 रुपये, 6200 रुपये और 2400 रुपये प्रति क्विंटल है। असम सरकार धान, सरसों और मक्का के लिए एमएसपी के अतिरिक्त समर्थन मूल्य (टॉप अप) प्रदान कर रही है।
असम में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान 66,530 किसानों से 1,973.13 करोड़ रुपये के 5.70 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की गई।

(घ) एवं (ङ): "वित्तीय डेटा अवसंरचना (एफडीआई)" कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की किसी भी केंद्रीय क्षेत्र या केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत जिला स्तर पर कार्यान्वयन के लिए औपचारिक रूप से अधिसूचित या स्वतंत्र फ्रेमवर्क नहीं है। इसलिए, असम में जिलावार कार्यान्वयन स्थिति या "एफडीआई डेटा" की उपलब्धता का प्रश्न ही नहीं उठता।
(च): राज्य में किसान संबंधी स्कीमों के लिए आंकड़ों की उपलब्धता और संस्थागत समन्वय में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- एग्रीस्टैक की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहल के अंतर्गत किसान रजिस्ट्री, डिजिटल फसल सर्वेक्षण और जियो-रेफरेंस ग्राम मानचित्र रजिस्ट्री जैसी डिजिटल पहलों का कार्यान्वयन।
- राज्य स्तर पर कृषि, राजस्व और संबद्ध विभागों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करना।
- अंतर-संचालनीयता में सुधार के लिए मानकीकृत डेटा प्रारूपों और प्रोटोकॉल को अपनाना।
- डिजिटल प्रणालियों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य और जिला अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना।

*****